



नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री



प्रधान मंत्री
आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban



हेमन्त सोरेन
मुख्य मंत्री

मिहिजाम नगर परिषद बुटबेरिया में PMAY(U) - AHP अन्तर्गत निर्माणाधीन
आवास का आवंटन - पत्र

सेवा में,

.....
.....
.....
Survey ID

विशय :- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत मिहिजाम नगर परिषद के बुटबेरिया में निर्माणाधीन आवासीय परिसर में आवास के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- आवास आवंटन हेतु विज्ञापन संख्या-.....दिनांक:-20-03-2023

महोदय,

उपरोक्त प्रसांगिक विषय के संबंध में कहना है कि मिहिजाम नगर परिषद के बुटबेरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास" अंतर्गत कमजोर आय वर्ग श्रेणी हेतु निर्माणाधीन बहुमंजिलीय आवासीय परिसर में आवासों के आवंटन हेतु दिनांक-20-03-2023 को सम्पन्न लॉटरी में आपको ब्लॉक सं०-.....केमंजिल पर आवास संख्या-..... आवंटित की जाती है। आवंटित आवास का कुल Carpet Area लगभग 27 वर्ग मी०/320 sq. ft. है।

आपको उक्त आवास केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आलोक में आवंटित की जा रही है।

2. निर्मित किए जाने वाले आवास का मूल्य रू० 6.14 लाख मात्र है।
3. उक्त आवास हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता राशि कुल रू० 2.50 लाख मात्र के पश्चात् कुल रू० 3.64 लाख मात्र लाभुक अंशदान के रूप में देय होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद मिहिजाम



प्रधान मंत्री
आवास योजना-शहरी



2. लाभुक अंशदान की राशी निम्नवत देय होगी:-

क्र०	किश्त	विवरण	आवंटी द्वारा किश्त भुगतान की राशि
1.	सुरक्षा जमा राशी (Security Deposit)		रु० 5,000/-
2.	प्रथम किश्त	आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिन के अंदर	रु० 20,000/- अग्रिम राशि
3.	द्वितीय किश्त	लाभुको के आवासीय ब्लोक के निर्माण का 25% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुको अंशदान - 25,000रु) का 25 प्रतिशत राशि 1.00 लाख
4.	तृतीय किश्त	लाभुको के आवासीय ब्लोक के निर्माण का 50% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुको अंशदान - 25,000रु) का 25 प्रतिशत राशि 1.00 लाख
5.	चतुर्थ किश्त	लाभुको के आवासीय ब्लोक के निर्माण का 75% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुको अंशदान - 25,000रु) का 25 प्रतिशत राशि 1.00 लाख
6.	पंचम किश्त	लाभुको के आवासीय ब्लोक के निर्माण का 90% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुको अंशदान - 25,000रु) का 25 प्रतिशत राशि 0.99 लाख

3. आवास आवंटन के प्रावधान

- 3.1 आवास का आवंटन पूर्ण स्वामित्व (Freehold) के आधार पर किया जा रहा है।
- 3.2 आवास एवं सन्निहित जमीन का स्वामित्व, 15 वर्षों के Lock in period के बाद या आपके द्वारा वित्तीय संस्थान से लिए गए गृह ऋण से मुक्त होने के बाद, जो बाद में हो दिया जाएगा।
- 3.3 आवंटी आवास प्रथम 15 (पन्द्रह) वर्षों तक अहस्तांतरणीय होगा, किन्तु उक्त आवंटित आवास आवंटित के वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम आपके मरणोपरांत हस्तांतरित किया जा सकेगा।
- 3.4 आवंटी द्वारा आवास ऋण का ससमय नहीं करने की स्थिति में आवास का आवंटन रद्द कर दी जाएगी।
- 3.5 आवास आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में दी गई जानकारी गलत साबित होने पर को आवंटित आवास का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा तथा आपके विरुद्ध कानुनी कार्रवाई की जाएगी।
- 3.6 आवंटी आवास की पहली किश्त का भुगतान तय समय सीमा के अन्दर नहीं किए जाने पर आपके द्वारा जमा कि गई सम्पूर्ण अग्रिम राशि को जब्त कर ली जाएगी एवं उक्त आवास का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
- 3.7 आवास आवंटन के 30 दिनों अन्दर अग्रिम राशि रु० 20,000/- बैंकर्स चेक/डी0डी0/RTGS/NEFT के माध्यम से Jharkhand Affordable Housing Development Fund (JAHDF) के खाते में जमा करानी होगी। तत्पश्चात् आवास का 'विक्रय के लिए एकरारनामा' (Agreement of Sell) की मुल प्रति आपको निकाय के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आपके द्वारा आपको आवंटित आवास के अंशदान के भुगतान हेतु बैंक से ऋण